भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
तारांकित प्रश्न संख्या. 233
(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को भेजे गए धोखाधड़ी के मामले

***233. श्री के. सुधाकरनः**

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत दो वर्षों के दौरान 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच के दायरे में आने वाली कंपनियों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार जानबूझकर चूक करने वालों द्वारा किए जाने वाले दुरुपयोग को रोकने के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) में संशोधन पर विचार कर रही है और ऐसे सुधारों के लिए अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को भेजे गए कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की संख्या और उनमें दोषसिद्धि की दर कितनी रही है;
(घ) क्या सरकार ने विशेषकर कंपनियों के द्वारा वित्तपोषण दायित्वों के अनुपालन तथा गैर-अनुपालन की स्थिति में लगाए जाने वाले अर्थदंड को सुनिश्चित करने में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अधिदेशों की प्रभावशीलता का आकलन किया है; और
(ङ) क्या सरकार ने सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए और अधिक सख्त ईएमजी (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) रिपोर्टिंग मानदंड तथा अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तन तंत्र प्रस्तावित किए हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को भेजे गए धोखाधड़ी के मामले” के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 233 के भाग (क) से (ङ) में संदर्भित विवरण

(क): कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत या परिभाषित धोखाधड़ियों के विरूध कार्रवाई करता है। धोखाधड़ी के गंभीर मामलों में जांच रजिस्ट्रार या निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर या कंपनी द्वारा पारित विशेष प्रस्ताव की सूचना मिलने पर या सार्वजनिक हित में या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग के अनुरोध पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212 के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को सौंपी जाती है। इन मामलों में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं के लिए जांच के अधीन कंपनियां शामिल हो सकती हैं, चूंकि जांच के आदेश के समय वित्तीय अनियमितताओं की सटीक मात्रा निश्चित नहीं होती है।

(ख): आईबीसी की धारा 29क में पहले से ही प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति या उसके साथ मिलकर काम करने वाला कोई अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अधीन जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जानबूझकर डिफॉल्टर है, तो वह समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में आईबीसी में संशोधन करने के लिए सरकार के समक्ष इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक, 72 मामले जांच के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को भेजे गए। इसके अतिरिक्त, 69 शिकायतें दर्ज की गईं थी, जिनमें से 43 शिकायतों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत शिकायतें शामिल थीं। इस अवधि में, 114 मामलों में जुर्माना लगाया गया, 20 मामलों को कंपाउंड किया गया और 9 मामलों में जुर्माना और कारावास (कोर्ट के शुरू होने तक) के आदेश दिए गए।

(घ): कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत, प्रत्येक सीएसआर अधिकृत कंपनी को एक सीएसआर समिति का गठन करना होता है। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी तथा कंपनी का बोर्ड सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाएगा, उन पर निर्णय लेगा, उन्हें क्रियान्वित करेगा और उनकी निगरानी करेगा। बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में सीएसआर नीति का प्रकटन करना अपेक्षित होगा और उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि इस प्रकार वितरित की गई धनराशि का उपयोग उसके द्वारा अनुमोदित उद्देश्यों और उसी तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए

जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय का प्रमाणन करेगा। सीएसआर कार्यकलापों, प्रभाव आकलन आदि का विवरण, कंपनियों द्वारा सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना सहित 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटे हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटन करने अपेक्षित होते हैं।

सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय का कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षण किया जाना आवश्यक है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके तहत लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना अपेक्षित है। सरकार कोई निर्देश जारी नहीं करती है कि कंपनी किस कार्यकलाप या क्षेत्र में खर्च करेगी। कंपनियों को अपनी रिपोर्ट में अपनी सीएसआर नीति की सामग्री का प्रकटन करना और उसे कंपनी की वेबसाइट पर रखना आवश्यक है। इस प्रकार, अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के खातों के वैधानिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि जैसे मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के साथ कारपोरेट गवर्नेंस ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करता है। जब भी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो रिकॉर्ड की सम्यक जांच और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरूध कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है।

(ङ): मार्च, 2019 में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एनसीए) द्वारा उत्तरदायी व्यवसाय आचरण (एनजीआरबीसी) पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश नामक नए सिद्धांत जारी किए। इसके पश्चात, एमसीए ने एनजीआरबीसी के ढांचे के आधार पर, स्थिरता रिपोर्टिंग प्रारूपों को अंतिम रूप देने के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग पर एक समिति ('समिति'), जिसका सेबी एक सदस्य था, का गठन किया।

समिति की सिफारिशों, व्यापक हितधारक परामर्श और वैश्विक बेंचमार्किंग के आधार पर, 2021 में, सेबी ने शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों (बाजार पूंजीकरण के हिसाब से) को वित्तीय वर्ष 2021-22 से स्वैच्छिक आधार पर और वित्तीय वर्ष 2022-23 से अनिवार्य रूप से व्यवसाय उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) के अनुसार ईएसजी प्रकटीकरण करने का आदेश दिया।

******